

urgent

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:- एफ 17(ई)(1)ग्ररावि/प्र.2/च.श्रे.क./2011/ 1874 जयपुर, दिनांक:


30/4/18

विज्ञप्ति

पंचायत राज विभाग (मुख्यालय) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (विभाग/बोर्ड/निगम आदि से) को, जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, राज्य सरकार के परिपत्रानुसार समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुननियुक्ति सेवाएं देने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः इच्छुक व्यक्ति/कर्मचारी संलग्न आवेदन पत्र में दिनांक 15.05.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा करवा दें। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पुर्ननियुक्त कर्मचारी पर समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। रिक्त पदों से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का चयन सक्षात्कार/प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

संलग्न :- निर्धारित प्रपत्र


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायत राज मुख्यालय जयपुर।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करावे।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान
(सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
(संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए
वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.....दिनांक.....में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

2/14